

(सन्दर्भ-1)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo pauri uta@yahoo.co.in ,

Phone/ Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 974 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, अगस्त..25.....2025

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरौ (गढ़वाल)।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मैखुली-देवराड़ी-कफलेख-कदूरखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.078 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/16539/2015

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र सं० 1478/12-1, दिनांक 22-11-2024 एवं पत्र सं० 390/12-, दिनांक 23-08-2025 एवं इस कार्यालय की पत्र सं० 08/12-1, दिनांक 01-07-2025

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के कम में अवगत कराना है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुये लगभग 9 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। परन्तु विधिवित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र सं० 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19-01-2022 के दिशा-निर्देशानुसार NPV की संशोधित धनराशि जमा की जानी आवश्यक है, जिसका डिमांड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है:-

1- एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2011-एफ०सी०, दिनांक 19-01-2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

ईको क्लास	-	V th
हरियाली का घनत्व	-	0.3
एन०पी०वी० की नई संशोधित दर प्रति है०-		रु० 10,05,210.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	3.078 है०
एन०पी०वी० की धनराशि	-	3.078 X 10,05,210.00 = 30,94,036.38
		या- 30,94,036.00
		(रु० तीस लाख चौरानबे हजार छत्तीस) मात्र

आपको पूर्व में प्रेषित डिमांड नोट के अनुसार आपके द्वारा जमा की गई एन०पी०वी० की धनराशि 20,22,246.00 तथा भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुसार आपके द्वारा अवशेष धनराशि जिसे जमा किया जाना है रु० 30,94,036.00 - 20,22,246.00 = 10,71,790.00 (रु० दस लाख इकहत्तर हजार सात सौ नब्बे) मात्र की धनराशि अतिरिक्त जमा की जानी है।

2- भारत सरकार की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/131/2016/एफ.सी./1132 दिनांक 19-10-2016 के जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं०-5 के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

वृक्षारोपण की वर्तमान दर प्रति कि०मी० -

रु० 5,43,037.00

वन क्षेत्राधिकारी की स्थलीय रिपोर्ट के अनुसार मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर 6 कि०मी० में strip plantation किया जा सकता है।

अतः संशोधित जमा की वाली धनराशि का विवरण-

6.00 X 5,43,037.00 = 32,58,222.00

(रु० बत्तीस लाख अठ्ठावन हजार दो सौ बाईस) मात्र

आपको पूर्व में प्रेषित डिमांड नोट के अनुसार आपके द्वारा मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर जमा की धनराशि 11,80,967.00 तथा अवशेष धनराशि जिसे जमा किया जाना है रू0 20,77,255.00 (रू0 बीस लाख सत्तहतर हजार दो सौ पचपन) मात्र की धनराशि अतिरिक्त जमा की जानी है।

अतः आप उपरोक्तानुसार एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार तथा मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों की कुल धनराशि रू0 31,49,045.00 (इकतीस लाख उनचास हजार पैतालीस) मात्र कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करे। तत्पश्चात् ही प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(स्वप्निल अनिरुद्ध)

प्रभारणीय वनाधिकारी,

मिडवाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 974 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(स्वप्निल अनिरुद्ध)

प्रभारणीय वनाधिकारी,

मिडवाल वन प्रभाग, पौड़ी।